

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

क्रमांक : राजस्व/17/ 809

दिनांक : 30/10/18

तहसीलदार (राजस्व)

श्रीकरणपुर

विषय : प्रकरण संख्या 86/2017 अनवान बलविन्द्र बनाम स्टेट ऑफ
राजस्थान अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्टर निर्णय दिनांक :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30/10/18 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर चक 34 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 39/36 मे वरिन्द्र राम पुत्र चुन्नी लाल के स्थान पर बलविन्द्र पुत्र चुन्नी लाल जाति जाट निवासी नग्गी अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे।

५
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर)
जि. कर. ३८३